## Order Sheet [Contd] Case No - B.A -- 08 / 2017

| Date of Order or proceeding with Signature of presiding  77–01–2017  311 वेदक / आरोपी वंटी की ओर से श्री के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता।  विशेष न्यायालय विद्युत लहार जिला मिण्ड से प्र0क0  101/2015 विद्युत म.प्र.म.क्षे.वि.मण्डल लहार वि० बंटी प्राप्त।  अवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.को. पर सुना गया।  आवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक / आरोपी वार्ड कमांक 3 लहार का मूल निवासी है, उसके विरुद्ध विरोधियों के द्वारा विद्युत विभाग लहार से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया है और विद्युत विभाग कं द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। उक्त परिवाद में आवेदक के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जिसमें कि आवेदक को पुलिस के द्वारा दिनांक 05.01.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक अपने परिवाद का मरण पोषण करता है वह नव्युवक है यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवाद के सामने भरण पोषण करे समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विवार किया गया।  आवेदक / आरोपी के विरुद्ध फरेवादी विद्युत विभाग के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनयम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी के विरुद्ध फरेवादम का परिवादपत्र न्यायालय के विकाद करेवान जो विकरेदित कर दिया गया था और पुनः क्रैक करने पर आरोपी को द्वारा उक्त कनेवशन जो विकरेदित कर दिया गया था और पुनः क्रैक करने पर आरोपी को द्वारा उक्त कनेवशन जो विकरण में अभी समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जाना पाया गया। आरोपी दितांक 05.01.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जाना पाया जा सकता है। अतः आवेदक / आरोपी की ओर से न्यायालय की |
|--|
| विशेष न्यायालय विद्युत लहार जिला भिण्ड से प्रठक्क 101/2015 विद्युत मा.प्र.म.क्षे.वि.मण्डल लहार विव वंटी प्राप्त। अविदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पर सुना गया। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी वार्ड कमांक 3 लहार का मूल निवासी है, उसके विरुद्ध विरोधियों के द्वारा विद्युत विभाग लहार से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया है और विद्युत विभाग के द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। उक्त परिवाद में आवेदक के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जिसमें कि आवेदक को पुलिस के द्वारा दिनांक 05.01.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक अपने परिवाद का भरण पोषण करता है वह नव्रयुवक है यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवाद के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शतों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक /आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादम न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी के विद्युत कनेक्शन को विक्रिदित कर दिया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपी को द्वारा जक्त कनेक्शन जो विक्रित कर विया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपी को द्वारा जक्त कनेक्शन जो खारोपी दिनांक 05.01.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया  |
|  |

संतुष्टि योग्य 30,000/— (तीस हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये। आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जाए। संबंधित मूल प्रकरण विशेष न्यायालय विद्युत लहार की ओर भेजा जावे। प्रकरण पूर्ववत दिनांक 12.01.2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

WILLIAM PARENTAL PROPERTY OF THE PARENTAL PROP

